भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2231
दिनांक 11 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

महिला कैदियों के साथ रहने वाले बच्चों का कल्याण

2231 **डा. अजित माधवराव गोपछड़ेः**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जेलों में महिला कैदियों के साथ रहने वाले बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य देखरेख, भावनात्मक कल्याण और बाल शिक्षा तक पहुंच से संबंधित गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, यदि हां, तो मंत्रालय ने गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के समन्वय से इन चिंताओं को दूर करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए हैं;

(ख) क्या ऐसे बच्चों की जीवन स्थितियों, कल्याण मानकों और विकासात्मक आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए कोई राष्ट्रव्यापी अध्ययन या आकलन किया गया है; और

(ग) क्या महिला कैदियों के साथ रहने वाले बच्चों की संख्या के संबंध में जेल वार अद्यतन आंकड़े उपलब्ध हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 4 के अंतर्गत कारागार राज्य का विषय है। कारागारों का प्रशासन और प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। गृह मंत्रालय ने दिनांक 15 मई, 2006 को 'महिला कैदियों के बच्चों के लिए सुविधाएं–सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देश' शीर्षक से एक व्यापक परामर्शिका भी जारी की है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा महिला कैदियों के बच्चों के लिए शिक्षा और मनोरंजन की व्यवस्था करने और महिला कैदियों के बच्चों की देखरेख के लिए कारागार से संलग्न क्रेच और नर्सरी की व्यवस्था करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख किया गया है। तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्रेच में रखा जाएगा, जबकि तीन से छह वर्ष की आयु के बच्चों की देखरेख नर्सरी में की जाएगी।

गृह मंत्रालय ने राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 'मॉडल जेल मैनुअल, 2016' जारी की, जिसमें अन्य बातों के अलावा, महिला कैदियों के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सहित उनके कल्याण के लिए उचित कदम उठाने का प्रावधान है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) को कार्यान्वित करने वाला नोडल मंत्रालय है, जो बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने वाला प्राथमिक कानून है। यह बच्चों के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करने के लिए देखरेख और संरक्षण के मानक निर्धारित करता है।

जेजे अधिनियम की धारा 2 (14) (i), (v), (ix) और (x) के अनुसार, ऐसा बच्चा जो बिना घर या स्थायी निवास स्थान के और बिना किसी स्पष्ट जीविका के साधन के पाया जाता है; या जिसका कोई माता-पिता या अभिभावक है तथा समिति या बोर्ड द्वारा ऐसे माता-पिता या अभिभावक को बच्चे की देखरेख और सुरक्षा एवं कल्याण की रक्षा करने में अयोग्य या अक्षम पाया जाता है; या जो बच्चा संवेदनशील स्थिति में पाया जाता है और जिसके मादक द्रव्यों के सेवन या मानव दुर्व्यापार में शामिल होने की संभावना है; या जिसका अनुचित लाभ के लिए शोषण किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है, उसे "देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे" के रूप में शामिल किया जाता है।

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 27-30 बाल कल्याण समितियों को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में उनके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने का अधिकार देती हैं। इन समितियों को बाल न्याय समितियों के कार्यों की निगरानी करने का भी दायित्व सौंपा गया है। इसी प्रकार, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 4-9 किशोर न्याय बोर्डों को कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के कल्याण के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार देती हैं। किशोर न्याय अधिनियम के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

यह मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना 'मिशन वात्सल्य' को राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य कारावास में बंद माता-पिता के बच्चों सहित कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के समग्र विकास के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करना है। इन सेवाओं में संस्थागत देखरेख और गैर-संस्थागत देखरेख शामिल हैं। मिशन वात्सल्य योजना के तहत स्थापित बाल देखरेख संस्थान अन्य बातों के अलावा, आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखरेख, परामर्श आदि जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। गैर-संस्थागत देखरेख के अंतर्गत, बच्चों को प्रायोजन, पालन-पोषन देखरेख, दत्तक ग्रहण और देखरेख पश्चात सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, महिला कैदियों के साथ रहने वाले बच्चों की संख्या से संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार आंकड़े **अनुलग्नक** में संलग्न हैं।

*****

अनुलग्नक

"महिला कैदियों के साथ रहने वाले बच्चों का कल्याण" के संबंध में माननीय राज्य सभा सांसद डा. अजित माधवराव गोपछड़े द्वारा पूछे गए दिनांक 11.03.2026 को उत्तर दिए जाने वाले राज्य सभा अतरांकित प्रश्न संख्या 2231 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, महिला कैदियों के साथ रहने वाले बच्चों की संख्या के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार आंकड़े इस प्रकार है:-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बच्चों वाली महिला कैदियों की कुल संख्या	बच्चों की कुल संख्या
1	आंध्र प्रदेश	16	19
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3	असम	30	40
4	बिहार	167	186
5	छत्तीसगढ़	60	64
6	गोवा	1	1
7	गुजरात	20	25
8	हरियाणा	28	30
9	हिमाचल प्रदेश	3	3
10	झारखंड	84	93
11	कर्नाटक	21	24
12	केरल	4	4
13	मध्य प्रदेश	126	137
14	महाराष्ट्र	47	53
15	मणिपुर	5	5
16	मेघालय	0	0
17	मिजोरम	18	19
18	नागालैंड	0	0
19	ओडिशा	37	41
20	पंजाब	49	52
21	राजस्थान	31	33
22	सिक्किम	0	0
23	तमिलनाडु	18	22
24	तेलंगाना	4	4
25	त्रिपुरा	7	11
26	उत्तर प्रदेश	311	345
27	उत्तराखंड	20	22
28	पश्चिम बंगाल	170	214

29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0
30	चंडीगढ़	3	3
31	दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव	0	0
32	दिल्ली	31	34
33	जम्मू और कश्मीर	7	8
34	लद्दाख	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0
36	पुद्दुचेरी	0	0

*****